संख्याः– /XVII-1/2014–01(68)/2013

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक 20 मई, 2014

विषयः– गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के कृषक मजदूरों/भूमिहीन कृषकों के आर्थिक विकास हेतु कृषि भूमि को क्रय करके उन्हें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति के कृषक मजदूरों/भूमिहीन कृषकों के पास अपनी जमीन न होने के कारण वे पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य वर्ग के खेतों में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। जिससे न तो उनका आर्थिक विकास हो पाता है और न ही वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो पाते हैं।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त ऐसे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उत्तराखण्ड के समस्त 13 जनपदों के अनुसूचित जाति के कृषक मजदूरों/भूमिहीन कृषकों के आर्थिक विकास हेतु उन्हें कम से कम 10 नाली (0.50 एकड़/0.20 हे.) कृषि योग्य भूमि क्रय करके उन्हें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन, योजना की स्वीकृति, भूमि का क्रय कर आवंटित की जाने वाली कृषि भूमि का चयन एवं उसका क्रय मूल्य निर्धारित करने तथा प्रश्नगत धन के व्यय की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक जनपदीय समिति का गठन किया जायेगा :–

(i) जिलाधिकारी	:	अध्यक्ष
(ii) मुख्य विकास अधिकारी	:	सदस्य
(iii) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/अपर जिलाधिकारी	:	सदस्य
(iv) सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार	:	सदस्य
(v) मुख्य कृषि अधिकारी	:	सदस्य
(vi) जिला उद्यान अधिकारी	:	सदस्य
(vii)सम्बन्धित तहसील के सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण	:	सदस्य
(viii) सम्बन्धित तहसील के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई	:	सदस्य
(ix) जिला समाज कल्याण अधिकारी	:	सदस्य

4. योजना के अन्तर्गत लाभार्थी गरीबी के रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषक मजदूर होंगे।

5. लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता तथा कृषि कार्य में रूचि के आधार पर जनपदीय समिति द्वारा किया जायेगा।

6. योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 10 नाली (0.50 एकड़/0.20 हे.) कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

7. भूमि क्रय के लिए पूर्ण क्रय मूल्य, जो जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा,

लाभार्थी को अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

8. योजना का कार्यान्वयन जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, परन्तु योजना के कार्यान्वयन एवं धन की स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही जनपदीय समिति द्वारा की जायेगी।

9. भूमि का क्रय समाज कल्याण विभाग द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के नाम से किया जाएगा तथा भूमि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज कराई जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भूमि क्रय की कार्यवाही के तुरन्त बाद लाभार्थी को आवंटित कर दी जायेगी।

10. जहां तक सम्भव हो ऐसी भूमि क्रय की जाए, जो कि लाभार्थियों के निवास के निकट हो और यथासम्भव भूमि का एक बड़ा चक क्रय किया जाए ताकि एक स्थान पर उसे अधिक से अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जा सके। इसका यह लाभ होगा कि आवंटियों को भूमि पर कब्जा करने में आसानी होगी और आवंटियों को सामूहिक कृषि विकास की योजनाओं से भी लाभान्वित कराने में सुविधा होगी।

11. भूमि क्रय के साथ ही व्यय का लेखा–जोखा तथा सम्पत्ति रजिस्टर, जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण, विक्रेता का नाम, आवंटियों का नाम, आवंटन का दिनांक, दाखिल खारिज का दिनांक आदि पूर्ण विवरण अंकित होगा, का रख रखाव जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12. लाभार्थियों को दी जाने वाली योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए उनसे अनुबंध पत्र भरा लिया जायेगा।

13. अनुबन्ध पत्र तथा आवंटन पत्र का पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

14. प्रथम वर्ष में औसतन 1 एकड़ प्रति ब्लाक भूमि वितरण का लक्ष्य रखा जायेगा।

15. योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इस हेतु जनपदवार आवश्यक भूमि तथा उक्त के क्रय हेतु आवश्यक धनराशि की गणना करके वित्तीय प्राविधान किये जाने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–456(P)/XXVII-1/2013-14, दिनांक 21.04.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस.राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या– 395 (1)/XVII-1/2014–01(68)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/नियोजन/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव